1104

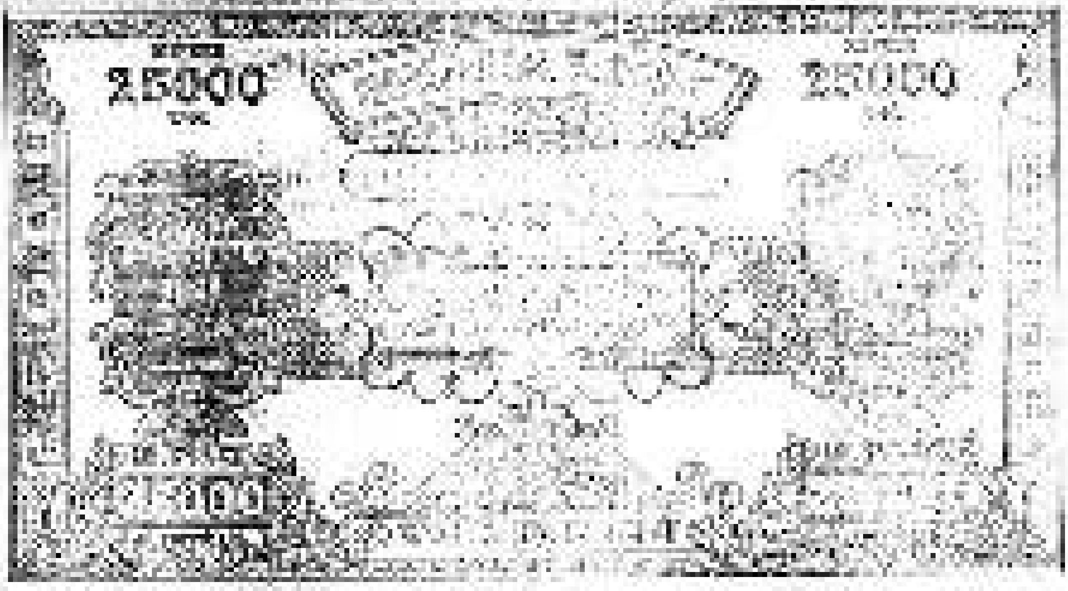

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

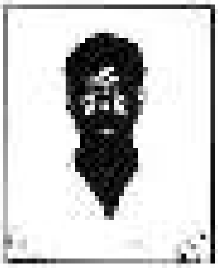

विलेख–पत्र

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1.	भूमि का प्रकार	:	कृषि
2.	[illegible]	:	[illegible]
3.	[illegible]	:	[illegible]
4.	[illegible]	:	भूमि [illegible]
5.	मापन की इकाई	:	[illegible]
6.	[illegible]	:	[illegible]
7.	[illegible]	:	कृषि
8.	[illegible]	:	कोई पेड़ नहीं
9.	[illegible]	:	नहीं
10.	प्रतिफल की धनराशि	:	[illegible]
11.	मालियत	:	[illegible]
12.	स्टाम्प	:	[illegible]

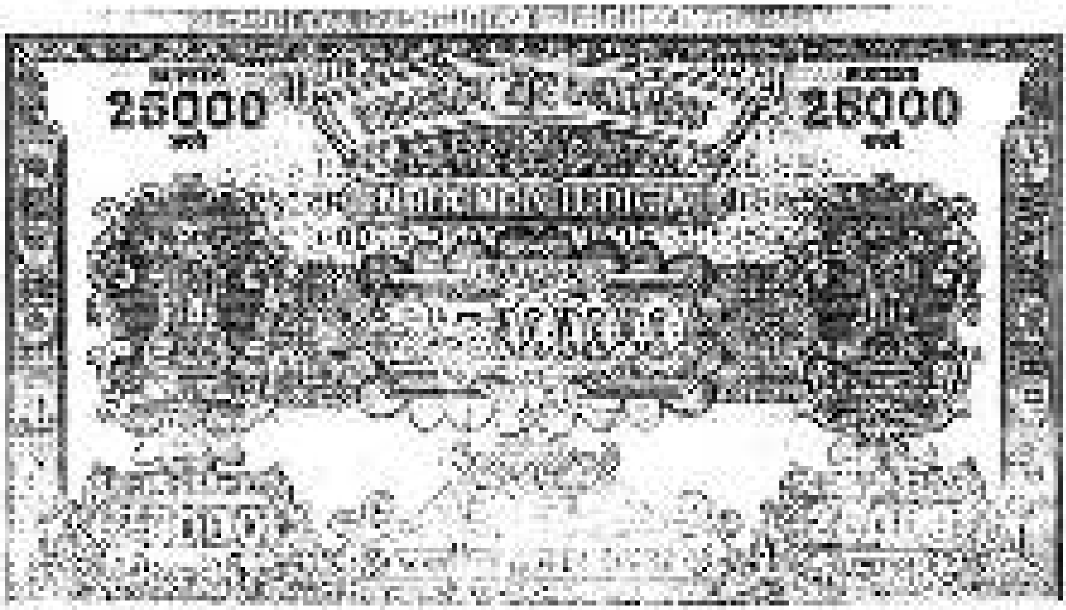

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 402092

चौहद्दी

खसरा नं० ९१५

पूरब	: खसरा संख्या–९१७अ
पश्चिम	: खसरा संख्या–९१९
उत्तर	: खसरा संख्या–९२०
दक्षिण	: खसरा संख्या–९१४

खसरा नं० ९२०

पूरब	: खसरा संख्या–९१७
पश्चिम	: खसरा संख्या–९२४
उत्तर	: खसरा संख्या–९२३
दक्षिण	: खसरा संख्या–९१५

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

सत्यमेव जयते

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH A 878312

-3-

प्रथम पक्ष की संख्या–01 द्वितीय पक्ष की संख्या–01

विक्रेता का विवरण	क्रेता का विवरण
मनोज कुमार पुत्र सोहनलाल निवासी –ग्राम नरौना, थाना–बिजनौर, तहसील व जिला–लखनऊ। व्यवसाय –कृषि	अन्सल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा श्री अम्बिका प्रसाद द्विवेदी पुत्र बेनी प्रसाद द्विवेदी, वरिष्ठ प्रबन्धक (समन्वय), वर्तमान पता–तृतीय तल, वाई0एम0सी0ए0 बिल्डिंग, 13–राणा प्रताप मार्ग लखनऊ। व्यवसाय–व्यापार

Ansal Properties & Infrastructure Ltd.
Authorised Signatory

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

<u>विक्रय विलेख</u>

यह विक्रय विलेख मनोज कुमार पुत्र सोहनलाल निवासी –ग्राम बरौना, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला–लखनऊ जिन्हें आगे विक्रेता कहा गया है, एवम् अन्सल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा श्री अम्बिका प्रसाद द्विवेदी पुत्र बेनी प्रसाद द्विवेदी, वरिष्ठ प्रबन्धक (समन्वय), वर्तमान पता–तृतीय तल, वाई०एम०सी०ए० बिल्डिंग, 13–राणा प्रताप मार्ग लखनऊ जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

Authorised Signatory

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

TRY. LKO.

यह कि विक्रेता कृषि भूमि खसरा संख्या–915अ रकबा 0.3970 हेक्टेअर व खसरा संख्या–936 रकबा 0.4810 हेक्टेअर कुल रकबा 0.878 हेक्टेअर का 1/2 यानि रकबा 0.439 हेक्टेअर, स्थित ग्राम [illegible], परगना–बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ के मालिक कामिल व काबिज है जो कि विक्रेता की पैतृक सम्पत्ति है जो उन्हें वरासतन प्राप्त हुई है तथा उपरोक्त प्रमाणित कम्प्यूटरीकृत खतौनी क्रम संख्या-00017 के अनुसार कृषि भूमि विक्रेता के नाम अमल दरामद हो चुका है। उक्त आराजी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

TRY. LKO. 3 JUL 2001

आज विक्रेता के कब्जे व दखल मालिकाना में मौजूद है और जो किसी विक्रय, हिबा, ऋणभार, कुर्की, व जमानत आदि से ग्रसित नहीं है, उक्त आराजी में किसी अन्य व्यक्ति का कोई स्वामित्व एवं अधिकार नहीं है और न ही कोई व्यक्ति भागीदार है, अब बजरिये खुद विक्रेता के उसी आराजी रकबा उपरोक्त को पूर्ण स्वामित्व एवं अधिकारों सहित बिना छोड़े किसी चीज व हक के खुश रुचि व समझबूझकर बिना किसी दबाव के, बाबत मुबलिग रु0 6,93,971/- (रुपया छः लाख तिरानबे हजार नौ सौ इकहत्तर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

मात्रा में क्रेता उपरोक्त को बय कर्द किया, और कुल निम्न धनराशि फल तहरीर दस्तावेज हाजा क्रेता उपरोक्त से नीचे दिये गये विवरण के अनुसार प्राप्त करके कब्जा व दखल मालिकाना आराजी बयशुदा पर आज की तारीख से क्रेता उपरोक्त का बाबाई बखूबी करा दिया, अब विक्रेता व वारिसान विक्रेता का कोई हक व दावा निस्बत आराजी बयशुदा व विक्रय धनराशि के क्रेता से बाकी नहीं रहा, अगर कोई शख्स दावा करे तो वह बिल्कुल नाजायज होवे, और अगर आराजी बयशुदा पूर्ण अथवा उसका

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

142213

कोई अंश क्रेता के स्वामित्व एवं अधिकारों से निकल जावे या कब्जा न मिले या कहीं विक्रय, हिबा, ऋणभार, कुर्की व जमानत आदि से ग्रसित पायी जाती है तो ऐसी स्थिति में क्रेता को अधिकार होगा कि वह अपना कुल विक्रय धनराशि मय हर्जा–खर्चा व नुकसान के सब विक्रेता व वारिसान विक्रेता से व विक्रेता की अन्य सम्पत्ति चल व अचल से जरिये न्यायालय प्राप्त कर लेवें, इसमें विक्रेता व वारिसान विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

Authorised Signatory

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 342214

अब क्रेता उपरोक्त को पूरा अधिकार है कि वह विक्रीत आराजी के सम्बन्ध में समस्त सरकारी अभिलेखों में अपने नाम दाखिल खारिज करा लेवें ।

आराजी उपरोक्त में खेती होती है, आराजी उपरोक्त में पेड़, ट्यूबवेल, कुआं व इमारत आदि नहीं है। आराजी उपरोक्त के 200 मीटर त्रिज्या में कोई निर्माण आदि नहीं है।

Actual Prep... [illegible]

Authorised Signatory

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

आराजी उपरोक्त किसी लिंक मार्ग जनपदीय मार्ग व राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नहीं है।

आराजी स्थित ग्राम करौना, परगना– बिजनौर को अर्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य भाग के अन्तर्गत आता है जो नगर निगम सीमा के बाहर स्थित है जिसकी कृषि भूमि की बाजारू कीमत 11,00,000/- रुपया प्रति हेक्टेअर की दर से निर्धारित है लेकिन यहाँ कम्पनी खरीददार है इसलिए 25 प्रतिशत बढ़ाकर रुपया 13,75,000/- प्रति हेक्टेअर होती है जिसके अनुसार विक्रीत भूमि

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

रकबा 0.439 हेक्टेयर की मालियत रू0 6,43,267/- होती है जो कि विक्रय मूल्य से कम है, अतः नियमानुसार विक्रय मूल्य पर देय स्टाम्प शुल्क 69,400/- के अदा किये जा रहे हैं।

उपरोक्त आराजी मुख्य मार्ग सुल्तानपुर रोड से 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।

विक्रेता अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। उक्त आराजी किसी योजना व किसी सरकारी व अर्ध सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं है।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 970283

विवरण भुगतान

1. विक्रेता को रू० 6,93,971/- (रूपया छः लाख तिरानबे हजार नौ सौ इकहत्तर मात्र) द्वारा चेक संख्या- [illegible] दिनांकित 12.07.2007 पंजाब नेशनल बैंक, शाखा हजरतगंज, लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

Authorised

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 870264

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रू० 6,93,971/- (रूपये छः लाख तिरानबे हजार नौ सौ इकहत्तर मात्र) विक्रेता ने क्रेता से वसूल पाया।

लिहाजा यह प्रलेख विक्रेता ने अपनी खुशी व रजामन्दी से खूब सोच व समझकर बिना किसी दबाव के, क्रेता उपरोक्त के हक में लिख दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे।

[illegible]

शिव कुमार द्विवेदी

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

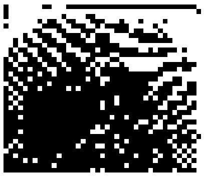

[illegible]

उप निबंधक (प्रथम)

लखनऊ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

उप निबंधक (प्रथम)

लखनऊ

[illegible]

अतः आज उभय पक्षों ने इस विक्रय विलेख पर अपने-अपने हस्ताक्षर करके इसे निष्पादित किया।

नोट : पृष्ठ संख्या-12 पर चेक संख्या पेन से लिखी है।

दिनांक: 12.07.2007
लखनऊ
गवाहान:-
1.

विक्रेता

2.

टाईपकर्ता

(राम सनेही)
सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता

(सैय्यद अन्जर हुसैन)
एडवोकेट,

रजिस्ट्रीकरण अधि0 1908 की धारा – 32 (ए) के अनुपालन हेतु

फिंगर प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता नाम व पता : [illegible]

[illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

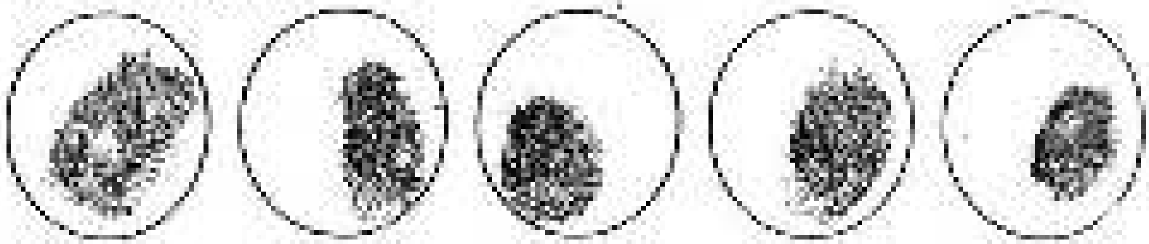

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

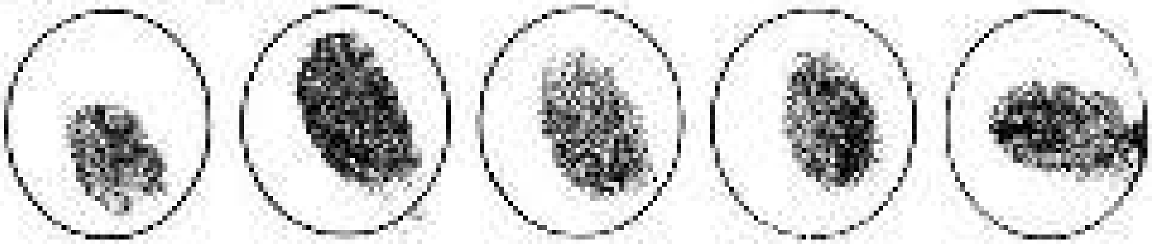

[illegible]

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता/क्रेता नाम व पता :- [illegible]

[illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

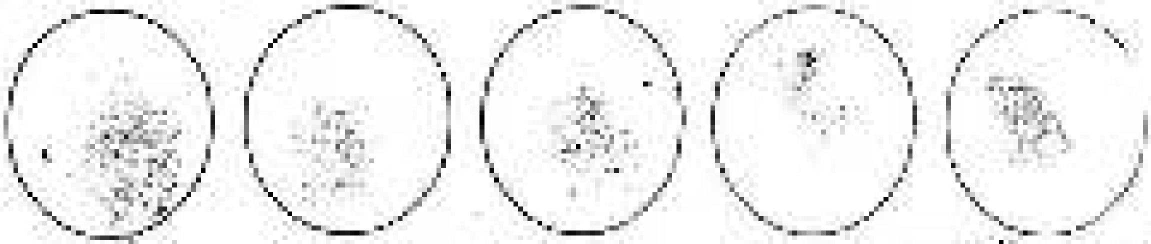

[illegible]

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

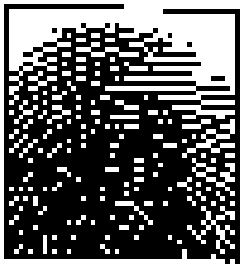

ग्राम :

खसरा संख्या–

विक्रेता

क्रेता :

विक्रीत सम्पत्ति के निकट स्थित सम्पत्तियों का विवरण

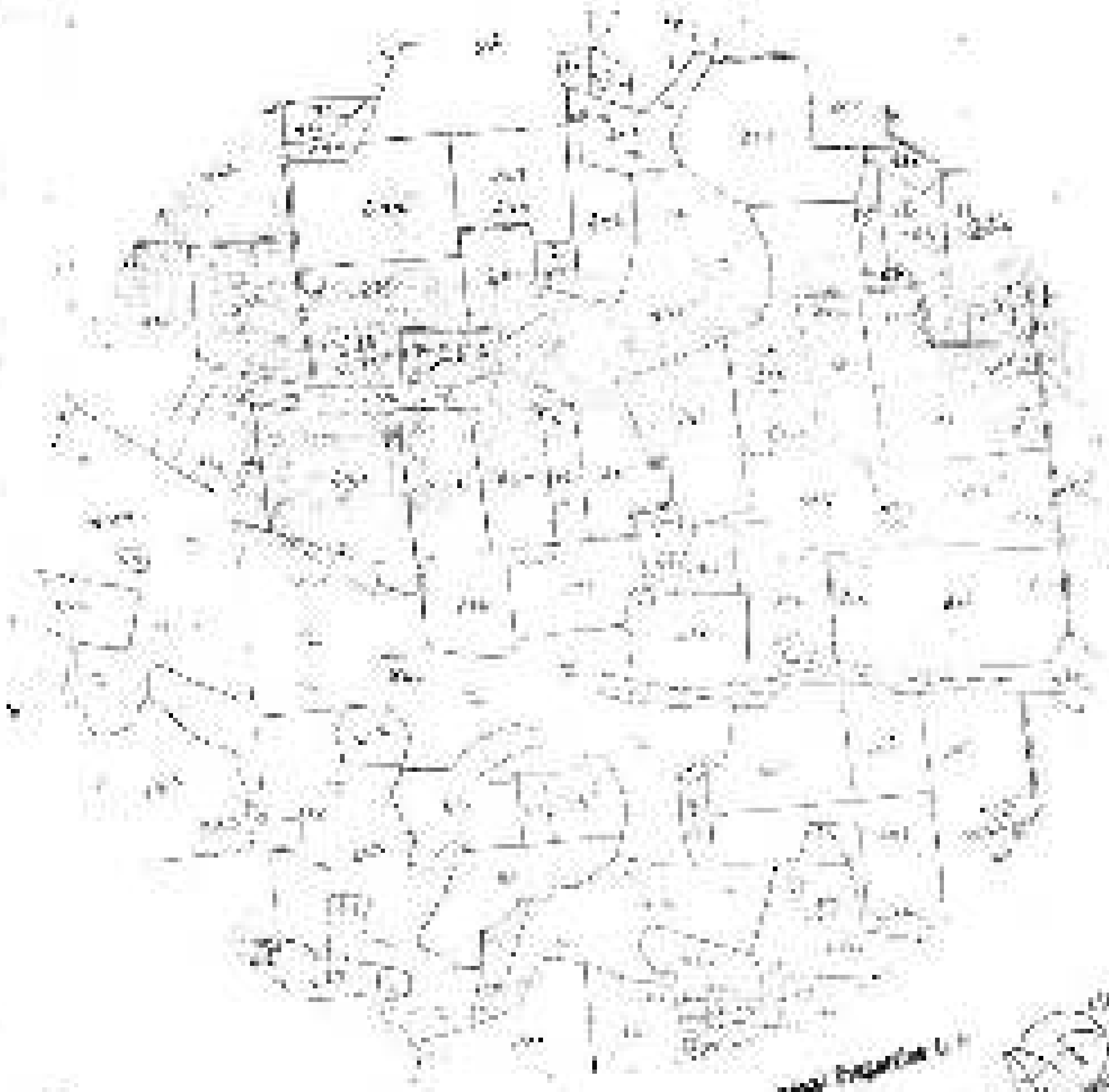

आज दिनांक 12/07/2017 को

बही सं 1 जिल्द सं 14451

पृष्ठ सं 235 से 266 पर क्रमांक 6412

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]